मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 5, 1942)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे -

(क) मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020),
(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020),
(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020),
(घ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 14 सन् 2020),
(ङ) मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2021),
(च) मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021),
(छ) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021),
(ज) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021),
(झ) पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021),
(ञ) डॉ.बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021),
(ट) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021),
(ठ) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021),
(ड) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021),
(ढ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2021), तथा
(ण) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ. कुंवर विजय शाह, वन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री –

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार –
(i) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2018-2019 खण्ड-I एवं II , तथा
(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2018-2019, एवं

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) एवं उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार-
(i) वित्तीय वर्ष 2019-2020 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, एवं
(ii) वित्तीय वर्ष 2020-2021 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण तथा वक्तव्य

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, द रियल स्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 77 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

4. सितम्बर, 2020 सत्र की स्थगित बैठकें दिनांक 22.09.2020, 23.09.2020 एवं दिसम्बर, 2020 निरस्त सत्र की बैठकें दिनांक 28, 29, एवं 30 दिसम्बर, 2020 की प्रश्नोत्तर सूचियाँ तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-5 एवं 6 पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन सितम्बर, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) इन्जी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य, चित्रकूट स्थित मंदाकिनी नदी में प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले की सिंरोज तहसील अंतर्गत ग्राम विशेपुर में सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सतना जिले के वार्ड-कबाड़ी टोला की शासकीय भूमि को भू-स्वामित्व पट्टा निरस्त कर भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने,

(3) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के उदयपुरा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(4) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम सिद्धीकला एवं बसौड़ा में स्थित पूर्व शास. माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम धर्मपुरा पुलिया से पथरया व्हाया बिलगांय तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर के 6 नंबर चौराहा मुरार से हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने,

(7) श्री बैजनाथ कुशवाहा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम गरमोरा में प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(8) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 28 की सुरूचि नगर कालोनी में जल प्रदाय व्यवस्था को परिवर्तित कर सुधार कराये जाने,

(9) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन 50 बिस्तरीय सिविल स्वास्थ्य केन्द्र में किये जाने,

(10) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम कुनिया में गैरतलाई क्षेत्रांतर्गत पर्यटक क्षेत्र विकसित किये जाने,

(11) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना जिले के रामपुर बघेलान अंतर्गत ग्राम झंड के शासकीय हाईस्कूल में स्टेडियम निर्माण कराये जाने,

(12) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम झारड़ा में नवीन विश्राम गृह स्वीकृत कराये जाने,

(13) श्री मनोज चावला, सदस्य, रतलाम जिले के आलोट अंतर्गत कंजर समुदाय द्वारा की जा रही चोरी, अवैध वसूली एवं लूट की वारदातों पर अंकुश लगाये जाने,

(14) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के अधियारा बगीचा हटा से बोरीकलां तक फोरलेन सड़क बनाये जाने,

(15) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम जुजावल स्थित शासकीय माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(16) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बिजौरा से खैरी तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(17) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर शहर के तुलसीनगर वार्ड में सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(18) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम हरचंदी में शासकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,

(19) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहगढ़ में नोन नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने,

(20) श्री जालम सिंह पटैल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत करताज में सिंहपुर से कपूरी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

9. सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र.

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 55-दमोह से निर्वाचित सदस्य, श्री राहुल सिंह द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

10. सभापति तालिका की घोषणा.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(7) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

12. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 फरवरी, 2021